(193)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2017–18

म0 महमूद .... अपीलकर्ता

बनाम

राम शंकर पाण्डेय एवं अन्य .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

25/04/2017

यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 01/2017–18 म0 महमूद बनाम् रामशंकर पाण्डेय एवं अन्य, मौजा साधूडीह अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 111/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश के दिनांक 20.10.2014 के आलोक में तत्कालीन उपायुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05.02.2015 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 के खास मौजा संबंधित सुसंगत प्रावधानों के तहत् 16 आना रैयत (छः आना प्रधान सहित) को सुनवाई करते हुए प्रधान की नियुक्ति हेतु अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया। इसके पश्चात भी उत्तरकारी रामशंकर पाण्डेय को प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल Pradhani Appointment की आदेश की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के दस आना प्रधान जो उत्तरकारी के पूर्वज थे, को दिनांक 30.01.1924 को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा खास घोषित करने का अनुशंसा किया गया एवं दिनांक 30.01.1924 को बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन भी किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी रामशंकर पाण्डेय को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है चुँकि मौजा गैंजर सर्वे सेटेलमेंट से ही खास घोषित है एवं तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के नियमानुसार प्रधान की नियुक्ति नहीं की गयी है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Seen ... for appellant 3/5/17

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।